राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय,राजस्थान, जयपुर

आज़ादी का अमृत महोत्सव

भीम BhIM

क्रमांक स.3(24)(3)स्था / मंत्रा / अभि / 2023 / 2662-2673 दिनांकः– 20/03/2023

–: नियुक्ति आदेश :–

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस गृह (ग्रुप–1) विभाग के पत्र क्रमांक प.4(12)गृह–1 / 2022 दिनांक 17.03.2023 के द्वारा कॉन्स्टेबल भर्ती 2018 में एमबीसी बांसवाडा व दसवी बटालियन आरएसी, बीकानेर हेतु चयनित रिक्रूट कॉन्स्टेबलों के उधमपुर प्रशिक्षण संस्थान में प्रारम्भिक प्रशिक्षण के दौरान चिकित्सकीय रूप से अयोग्य पाये जाने पर सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड में कान्स्टेबल पद हेतु अनफिट पाये जाने पर राज्य सेवा से पृथक किये गये कार्मिको को माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 13173 / 2019 एवं 13461 / 2019 द्वारा श्री पीयूष पाटीदार व अन्य एवं श्री हमीरनाथ सिद्व व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 19.03.2021 के विरूद्व डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 515 / 2021 एवं 718 / 2021 द्वारा राजस्थान राज्य व अन्य बनाम श्री पियूष पाटीदार व अन्य एवं श्री हमीरनाथ सिद्व व अन्य में पारित निर्णय क्रमशः दिनांक 04.01.2022 एवं दिनांक 12.01.2022 तथा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 18047 / 2019 दयालाल डामोर बनाम राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 19.03.2021 की पालना में कार्मिक विभाग द्वारा राजस्थान पुलिस अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 में संशोधन के संबंध में कार्मिक (क–2) विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक प.3(4) कार्मिक / क–2 / 2022 दिनांक 16.03.2023 के क्रम में कनिष्ठ सहायक हेतु निर्धारित नियमों में अंकित शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य शर्तो के अध्यधीन नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु निम्नांकित कार्मिको को अभियोजन विभाग आवंटित कर कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति / पदस्थापन के आदेश जारी किये जाने की सहमति प्रदान करने के फलस्वरूप फलस्वरुप राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के अन्तर्गत निम्नलिखित **मेवाड भील कोर, बांसवाडा** के 15 अभ्यर्थियो को अभियोजन विभाग में **TSP क्षेत्र में** रिक्त कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिंनाक 20.01.06 एंव वित्त नियम विभाग की अधिसूचना क्रंमाक प. 15(1)वित्त / नियम / 2017 दिंनाक 30.10.17 एंव 09.12.2017 के अनुसार 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक रूपये 14600 / –प्रतिमाह एंव परिवीक्षाकाल संतोषजनक रूप में पूर्ण करने के उपरान्त पे–मेट्रिक्स लेवल संख्या–5 पर अधोलिखित शर्तो पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से नियुक्ति की जाकर इनका पदस्थापन इनके नाम के सामने अंकित सहायक निदेशक अभियोजन के अधीन एतद्द्वारा किया जाता है :–

क्र. सं.	नाम अभ्यर्थी सर्वश्री	पिता का नाम सर्वश्री	मूल वर्ग	जन्म तिथी	एम.बी.सी. बांसवाडा के वरियता क्रमांक	पदस्थापन कार्यालय
1.	सज्जन सिंह बारीया	मानजी बारीया	ST	12-09-1992	ST-14 part-I	कार्यालय स०नि०अ० बांसवाड़ा
2.	दयालाल डामोर	भगवती लाल डामोर	ST	07-09-1998	ST-35 part- I	कार्यालय स०नि०अ० बांसवाड़ा
3.	शिवराम मीणा	उदय लाल मीणा	ST	17-01-1999	ST-78 part- I	कार्यालय स०नि०अ० उदयपुर
4.	सुनिल चरपोटा	दिलिप चरपोटा	ST	06-12-1996	ST-97 part- I	कार्यालय स०नि०अ० प्रतापगढ़
5.	तुलसीराम सरपोटा	रूपसी सरपोटा	ST	20-07-1999	ST-139 part- I	कार्यालय स०नि०अ० डूंगरपुर
6.	भैरू लाल मीना	राम लाल	ST	18-09-1996	ST-146 part- I	कार्यालय स०नि०अ० प्रतापगढ़
7.	नारायण लाल मीणा	हन्जाराम मीणा	ST	06-03-1990	ST-194 part- I	कार्यालय स०नि०अ० [illegible]

Signature valid
Digitally signed by Ravi Sharma
Designation : Director
Date: 2023.03.20 17:02:28 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3439709

8.	राहुल मालवीया	शंकर लाल	SC	15-09-1990	SC-16 part- I	कार्यालय स.नि.अ. प्रतापगढ़
9.	लक्ष्मीनारायण गंर्धव	महावीर गंर्धव	SC	06-08-1997	SC-23 part- I	कार्यालय स.नि.अ. प्रतापगढ़
10.	किशोर सिंह पंवार	ईश्वर सिंह पंवार	GEN	10-07-1992	GEN-22 part-II	कार्यालय स.नि.अ. डूंगरपुर
11.	पीयुष पाटीदार	वेलजी पाटीदार	GEN	07-08-1997	GEN-43 part-II	कार्यालय स.नि.अ. बांसवाड़ा
12.	गणेश कुमार	छोगा राम	SC	29-03-1992	GEN-49 part-II	कार्यालय स.नि.अ. सिरोही
13.	भागीरथ मीणा	मन्नालाल	ST	09-08-2000	GEN-52 part-II	कार्यालय स.नि.अ. प्रतापगढ़
14.	भूपेन्द्र सिंह चौहान	सोम सिंह चौहान	GEN	05-12-1996	GEN-73 part-II	कार्यालय स.नि.अ. उदयपुर
15.	लक्ष्मण लाल खांट	हेनजी	ST	27-07-1989	ST-12 part-II	कार्यालय स.नि.अ. बांसवाड़ा

1. अभ्यर्थीयो को कार्य ग्रहण करने से पूर्व 50 रूपये सममूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाए एवं संलग्न किये गये प्रमाण पत्र सत्य है। प्रस्तुत दस्तावेजो में से कोई दस्तावेज/सूचना असत्य/फर्जी पाये जाने पर नियुक्तिकर्ता द्वारा इनकी सेवाऐं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
2. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणाधीन अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 12(6) एफडी/रूल्स/05 दिंनाक 13.03.06, 6(6)एफडी/रूल्स/05 दिंनाक 13.03.06, 1(2) एफडी/ रूल्स/06 दिंनाक 13.03.06, 13(1)एफडी/रूल्स/03 दिंनाक 13.03.06, एंव राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2017 दिंनाक 30.10.17 एंव संशोधित आदेश दिंनाक 09.12.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक रूपय` 14600/– (Fixed Remuneration) प्रतिमाह के हकदार होगें, इसके अतिरिक्त विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता एवं एडहोक बोनस इत्यादि देय नहीं होगें।
3. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिंनाक 20.01.06 एंव वित्त नियम विभाग की अधिसूचना क्रंमाक प.15(1)वित्त/नियम/2017 दिंनाक 30.10.17 एंव 09.12.2017 के अनुसार 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) अवधि में सेवाये सन्तोषजनक पाये जाने की दशा में पे–मेट्रिक्स लेवल संख्या–5 में नियमानुसार वेतन एवं उस पर अन्य भत्ते स्वीकृत किये जावेगें।
4. परिवीक्षा अवधि में राज्य बीमा अंशदान की कटौति नहीं की जावेगी। यद्यपि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशो के अनुसार ही परीविक्षा अवधि में नियमानुसार कटौतियॉ की जा सकेगी।
5. उपरोक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की दिंनाक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार संभालना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार संभालने में यदि वह असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुये निम्न हस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवे कि वे कब तक कार्यभार संभालेगें। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
6. अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप से सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।
7. परीविक्षा काल (Probation-Period) में इन्हे कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
8. यदि अभ्यर्थी का कार्य एंव आचरण परीविक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीविक्षाकाल की समाप्ति पर सन्तोषप्रद नहीं पाया गया अथवा परीविक्षा काल की समाप्ति पर ली... विभागीय

Signature valid
Digitally signed by Ravi Sharma
Designation: Director
Date: 2023.03.20 17:02:28 IST
Reason: Approved

परीक्षा यदि कोई हो तो उसमें असफल रहने पर उन्हे बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।

9. परीविक्षा / प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों के प्रवर्तनीय आदेशानुरूप देय होगें।

10. उक्त नियुक्तियाँ राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों / परिपत्रों के अनुक्रमिक शासित होगी एंव इन पर समय समय पर जारी किये गये निर्देश / परिपत्र लागू होगें।

11. अभ्यर्थियों को परिविक्षा अवधि में प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। नियुक्ति कलेण्डर वर्ष के मध्य में होने से आनुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश देय होगा।

12. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, उन्हे राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन, भत्ते देय होंगे, परन्तु पदस्थापन पर कार्य ग्रहण के समय पूर्व नियोजक द्वारा उचित माध्यम से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

13. उक्त अभ्यर्थी की जन्म तिथि गृह (ग्रुप–1) विभाग से प्राप्त सूची के आधार पर अंकित की गई है।

14. अभ्यर्थियों की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।

15. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

इनका पदस्थापन जिले में रिक्त कनिष्ठ सहायक के पद पर सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा किया जावेगा।

(रवि शर्मा)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर।

<u>प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–</u>

1. संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. कमाण्डेंट, मेवाड भील कोर, बांसवाडा को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त वर्णित कार्मिको के मूल दस्तावेज अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
4. सम्वन्धित सहायक निदेशक अभियोजन, को भेजकर लेख है कि यदि आपके जिले में पदस्थापित उक्त अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि में कार्यग्रहण नहीं करता है तो निर्धारित समयावधि पश्चात उसे कार्यग्रहण करने की अनुमति प्रदान नहीं की जावें। तथा नियुक्ति आदेश में अंकित शर्तो की पूर्ण पालना होने के पश्चात कार्यग्रहण करवाया जाकर पालना सुनिश्चित करे। साथ ही अभ्यर्थी से शैक्षणिक एवं आवश्यक दस्तावेजो की छायाप्रति कार्यग्रहण के समय प्राप्त करे।
5. सम्बन्धित अभ्यर्थियों को आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि आप नियुक्ति आदेश में अंकित शर्तो को पूर्ण करते हुये 15 दिवस की नियत अवधि में आवश्यक रुप से कार्यग्रहण कर लेवें।
6. निजी पत्रावली / विधि शाखा / गोपनीय शाखा, अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक अभियोजन,
राजस्थान जयपुर।

Signature valid

Digitally signed by Ravi Sharma
Designation: Director
Date: 2023.03.20 17:02:28 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3439709